



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 755]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 15, 2019/माघ 26, 1940

No. 755]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 15, 2019/MAGHA 26, 1940

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2019

का.आ. 877(अ).—सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए पहचान दस्तावेज़ के रूप में आधार का उपयोग, सरकार की परिदान प्रक्रियाओं को सरल करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और लाभार्थियों को उनके अधिकार एक सुविधाजनक और निर्बाध रीति में सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी की पहचान को साबित करने के लिए बहु दस्तावेजों के प्रस्तुति की आवश्यकता को पूरा करता है ;

और भारत सरकार में श्रम और रोजगार मंत्रालय (जिसे इसमें इसके पश्चात मंत्रालय कहा गया है) प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन, योजना केंद्रीय क्षेत्र योजना (जिसे इसमें इसके पश्चात योजना कहा गया है) का प्रशासन कर रहा है, जिसे भारतीय बीमा निगम और सामान्य सेवा केंद्र (जिसे इसमें इसके पश्चात कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है।

और योजना का लक्ष्य योजना के दिशानिर्देशों के विस्तार में यथापरिभाषित असंगठित कर्मकार (जिसे इसमें इसके पश्चात लाभार्थी कहा गया है) के लिए पेंशन सहायता का उपबंध करना है। इसे असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008, 2008 का 33 की धारा 3 (1) (ग) की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन केंद्रीय सरकार ने वृद्धावस्था की सुरक्षा पर असंगठित कर्मकारों के लिए उचित कल्याणकारी योजनाओं को विरचित करने के लिए आज्ञापक बनाया है। लाभार्थी मूल रूप से गृह आधारित कर्मकार, गली में फेरी लगाने वाले, मध्याह्न भोजन कर्मकार, सिर पर बोझा उठाने वाले, ईट भट्टा कर्मकार, मोची, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कर्मकार, धोबी, रिक्शा चालक, ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक, ऑन अकाउन्ट कर्मकार, कृषि कर्मकार, संनिर्माण कर्मकार, बीडी कर्मकार,

हथकरघा कर्मकार, चमड़ा कर्मकार, दृश्य-श्रव्य कर्मकार और समान अन्य व्यवसाय में लगे हुए हैं। केंद्रीय सरकार इस योजना की उद्देश्यों के लिए राष्ट्रीय बोर्ड के साथ, जहां कहीं अपेक्षित, हो परामर्श में प्रशासन करने के लिए एक पेंशन निधि की स्थापना करेगी। केंद्रीय सरकार भी किसी पात्र अभिदाता (जिसे इसमें इसके पश्चात प्रसुविधा कहा गया है) द्वारा संदाय के रूप में समान रकम पेंशन निधि में संदाय करेगी।

और, पूर्वोक्त योजना में भारत की संचित निधि से उपगत होने वाला आवर्ती व्यय सम्मिलित है;

अतः अब, केंद्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016, (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करती है अर्थात:-

1. (1) योजना के अधीन प्रसुविधा प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति से आधार संख्या के कब्जे का प्रमाण प्रस्तुत करने या आधार को अधिप्रमाणन करने की अपेक्षा की जाएगी।

(2) योजना के अधीन प्रसुविधा प्राप्त करने के लिए इच्छुक कोई भी व्यक्ति, जो आधार संख्या नहीं रखता है या उसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं किया है, उसे आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा परंतु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपबंधों के अनुसार आधार अभिप्राप्त करने के लिए हकदार है और ऐसे व्यक्ति आधार के नामांकन के लिए (भारतीय यूनिक पहचान प्राधिकरण (यू. आई.डी.ए.आई) वेबसाइट (www.uidai.gov.in) पर उपलब्ध सूची) किसी आधार नामांकन केंद्र पर नामांकन करा सकते हैं।

(3) योजना के अधीन लाभ प्राप्त करने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति जिसने अपना आधार संख्या या आधार नामांकन पहचान दिया है या आधार को अधिप्रमाणन कराया है :

(क) वह अपने आधार संख्या का प्रयोग करने के लिए मंत्रालय या उसके कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से अपनी सहमति प्रदान करने के लिए तथा योजना की दिशा निर्देशों के विस्तार के अनुसार केंद्रीय सरकार और अन्य संबद्ध विभागों या अभिकरणों द्वारा अभिदाय की गई आय कर या कर्मचारी राज बीमा निगम योजना या कर्मचारी भविष्य निधि योजना या राष्ट्रीय पेंशन योजना के साथ किसी योजना के लिए अपनी पात्रता की सच्चाई के सत्यापन के लिए समय-समय पर अन्य सूचना प्रदान करना समझा जाएगा।

(ख) अपनी जानकारी को साझा करने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को सिवाए उसके द्वारा प्रदान की गई सूचना की सच्चाई के सत्यापन के लिए समय-समय पर मंत्रालय या उसके कार्यान्वयन अभिकरण के लिए यूआईडीएआई पर कोर बायमैट्रिक उपलब्ध हो पर अपनी सहमति प्रदान करना समझा जाएगा।

(4) प्रसुविधा को कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा रखे जाने वाले लाभार्थियों के लिए पेंशन लेखा के उद्देश्य के लिए सृजित की गई पेंशन निधि के माध्यम से भारत सरकार द्वारा अंतरित किया जाएगा।

(5) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार मंत्रालय या उसके कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से ऐसे लाभार्थियों के लिए जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है तथा ऐसे मामलों में जहां संबंधित ब्लॉक अथवा तालुक या तहसील में कोई आधार नामांकन

केन्द्र अवस्थित नहीं है, आधार नामांकन की प्रसुविधाओं को प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है, मंत्रालय या उसके कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से विद्यमान यूआईडीएआई के रजिस्ट्रार के सहयोग अथवा उनमें होने वाले यूआईडीएआई रजिस्ट्रारों के द्वारा सुविधा जनक स्थानों पर आधार नामांकन प्रसुविधा का उपबन्ध करेगा :

परन्तु आधार को किसी व्यक्ति को सौंपे जाने तक, योजना के अधीन प्रसुविधाओं को निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने के अधीन ऐसे व्यक्तियों को दिया जाएगा अर्थात:-

(क) उसने अपनी आधार नामांकन पहचान दस्तावेज पर्ची को नामांकित कराया है, और

(ख) (i) निम्नलिखित में से किसी दस्तावेज- फोटो के साथ बैंक पासबुक या पोस्ट ऑफिस पासबुक; या (ii) भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान दस्तावेज कार्ड; (iii) स्थायी लेख संख्या (पैन) कार्ड; या (iv) पासपोर्ट; या (v) मोटर वाहन अधिनियम 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस; या (vi) राशन कार्ड; या (vii) महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी कार्ड; या (viii) किसान फोटो पासबुक; या (ix) किसी शास्कीय पत्र पर राजपत्रित अधिकारी या किसी तहसीलदार द्वारा ऐसे व्यक्ति की फोटो की पहचान का प्रमाण; या (x) मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज;

परन्तु यह और कि उपरोक्त दस्तावेजों की उस उद्देश्य के लिए मंत्रालय द्वारा पदाभिहित किसी अधिकारी द्वारा जाँच की जाएगी ।

2. योजना के अधीन लाभार्थियों को सुविधाजनक और निर्बाध प्रसुविधा प्रदान करने के क्रम में, मंत्रालय या उसके कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार को सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था करने की सभी अपेक्षाओं को करेगा जो ऐसी अपेक्षाओं के बारे में उनको जागरूक करने लिए लाभार्थियों को प्रदान की जाती हैं ।

3. ऐसे सभी मामलों में, जहां आधार का अधिप्रमाणन लाभार्थियों के खराब बायोमैट्रिक या किसी अन्य कारण से विफल होता है, निम्नलिखित अपवादिक हैंडलिंग तंत्र को अंगीकृत किया जाएगा अर्थात:-

(क) खराब अंगुली के निशान की मात्रा के मामलों में, एकीकृत जोखिम सूचना प्रणाली स्कैन करने या चेहरा अधिप्रमाणन सुविधा को अधिप्रमाणन के लिए अंगीकार किया जाएगा जिसके द्वारा मंत्रालय या उसके कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से बाधामुक्त रीति में लाभों के परिदान के लिए अंगुली छाप अधिप्रमाणन के साथ चेहरा अधिप्रमाणन या एकीकृत जोखिम सूचना प्रणाली का उपबन्ध करेगा;

(ख) अंगुली छाप या एकीकृत जोखिम सूचना प्रणाली या चेहरा अधिप्रमाणन के माध्यम से बायोमैट्रिक के मामले में सफलता नहीं प्राप्त होती है, जहां कहीं साध्य हो और ऐसी समय वैधता के साथ जो विहित की जाए, एक समय पासवर्ड पर आधारित या आधार एक समय पासवर्ड द्वारा स्वीकार अधिप्रमाणन की प्रस्थापना करेगा;

(ग) ऐसे सभी अन्य मामलों में जहां बायोमैट्रिक या एक समय पासवर्ड या समय आधारित एक समय पासवर्ड का अधिप्रमाणन किया जाना संभव नहीं है, लाभ वास्तविक आधार पत्र पर दिया जाएगा जिनका

अधिप्रमाणन आधार पत्र पर मुद्रित त्वरित प्रति उत्तर कोड के माध्यम से सत्यापन किया जा सकता है। क्यू आर कोड रीडर के लिए आवश्यक व्यवस्था मंत्रालय या उसके कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर प्रदान की जाएगी;

4. यह अधिसूचना असम, मेघालय राज्य तथा जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाए सभी राज्यों और संघराज्यक्षेत्र प्रशासनों में राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. एल-11011/04/2018-आर डब्लू (भाग I)]

अजय तिवारी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th February, 2019

S.O. 877(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly to them in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Labour and Employment (hereinafter referred to as the Ministry) in the Government of India is administering the Central Sector Scheme of Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-dhan (hereinafter referred to as the Scheme) which is implemented through the Life Insurance Corporation of India and Common Service Centres (hereinafter referred to as the implementing agency).

And whereas, the Scheme aims at providing pension support for Unorganized Workers (hereinafter referred to as the beneficiaries), as defined in the extant scheme guidelines. This made under clause (c) of sub-Section (1) of section 3(1)(c) of the Unorganised Workers Social Security Act, 2008 33 of 2008, the Central Government is mandated to formulate suitable welfare schemes for Unorganised workers on old age protection. The beneficiaries are basically engaged as home based workers, street vendors, mid-day meal workers, head loaders, brick kiln workers, cobblers, rag pickers, domestic workers, washer men, rickshaw pullers, landless labourers, own account workers, agricultural workers, construction workers, beedi workers, handloom workers, leather workers, audio-visual workers and similar other occupations. The Central Government shall for the purposes of this Scheme, establish a Pension Fund to be administered in consultation, wherever required, with the National Board. The Central Government shall also contribute to the Pension Fund the equal amount as contributed by an eligible subscriber (hereinafter referred to as the benefits);

And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely,-

1. (1) An individual desirous of availing the benefits under the Scheme shall be required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.
- (2) Any individual desirous of availing the benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for an Aadhaar, shall have to apply for Aadhaar enrolment provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India website www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.
- (3) Any individual who has given his or her Aadhaar number or Aadhaar Enrolment ID or has undergone Aadhaar authentication for availing the benefits under the Scheme,
 - (a) shall be deemed to have given his or her consent to the Ministry or through its implementing agency to use his or her Aadhaar number and other information provided from time to time to verify his eligibility for scheme with income tax or employee State insurance corporation scheme or employee provident fund scheme or National Pension Scheme contributed by central government and other concerned departments or agencies as per the extant scheme guidelines.
 - (b) shall be deemed to have given his or her consent to Unique Identification Authority of India to share his or her information except core biometrics available with UIDAI to the Ministry or through its implementing agency from time to time for verification of the veracity of the information provided by him.
- (4) The benefit shall be transferred by Government of India through the pension fund created for the purpose to the beneficiaries pension account maintained by the implementing agency.
- (5) As per regulation 12 of Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry through its implementing agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar, and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its implementing agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming UIDAI Registrars themselves.

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individuals, subject to the production of the following documents, namely:—

- (a) if he or she or has enrolled, his Aadhaar Enrolment identity Document slip; and
- (b) (i) Any one of the following documents: Bank Passbook or Post office Passbook with photo; or (ii) Electoral Photo Identity Card (EPIC) issued by the Election Commission of India; or (iii) Permanent Account Number (PAN) Card; or (iv) Passport; or (v) Driving licence issued by Licencing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (vi) Ration Card; or (vii) Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Card; or (viii) Kisan Photo Passbook; or (ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or (x) any other document as specified by the Ministry:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer designated by the Ministry for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Scheme, the Ministry through its implementing agency shall make all the required arrangements to ensure wide publicity through media is given to the beneficiaries to make them aware of the requirement.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following exception handling mechanisms shall be adopted, namely:-

(a) in case of poor fingerprint quality, Integrated Risk Information System scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Ministry through its implementing agency shall make provisions for Integrated Risk Information System scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;

(b) in case of biometric authentication through fingerprints or Integrated Risk Information System or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

(c) in all other cases where biometric or One Time Password or Time-based One-Time Password authentication is not possible, benefit may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter. The necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at the convenient locations by the Ministry through its implementing agency;

4. This notification shall come into Force from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union Territories Administrations, except the State of Assam, Meghalaya and the State of Jammu and Kashmir.

[F. No. L-11011/04/2018-RW(Part I)]

AJAY TEWARI, Jt. Secy.